

पत्र संख्या-- / ई०सी०-१/एन०डी०/२०२५

-: सूचना :-

दिनांक-27/09/2025

क्र.सं.	विशिष्टता का नाम	संविदा विकास शिक्का की रिक्त पदों की संख्या									
		आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सह आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	सहायक आचार्य	आरक्षित श्रेणी	रोस्टर कमाक	
1	आथोपैडिक्स	1	अनारक्षित	(4)	1	अनारक्षित ओपीसी	(32)	1	एससी	(83)	
2	अप्लमलेजी	0	0	0	1	एससी	(58)	1	अनारक्षित	(104)	
3	अक्सटेटिक्स एण्ड गायनोकोलाजी	1	ईडब्ल्यूएस	(50)	1	ईडब्ल्यूएस	(60)	1	ओपीसी	(109)	
4	इयूरो डिग्रेटोलाजी एण्ड वलड ट्रांसप्लान्त मेडिसिन	1	अनारक्षित	(54)	0	0	0	0	एससी	(163)	
5	इमरजेन्सी मेडिसिन	1	ओपीसी	(55)	1	अनारक्षित ओपीसी	(66)	1	ईडब्ल्यूएस	(110)	
6	एन्डोक्रायनोलॉजी (गैणएसएमआई)	1	अनारक्षित	(38)	1	ओपीसी	(37)	1	एससी	(59)	
7	एनाटमी	0	0	0	0	0	0	1	ओपीसी	(39)	
8	एनेस्थीसिया	1	ईडब्ल्यूएस	(10)	1	अनारक्षित ओपीसी	(9)	1	ईडब्ल्यूएस	(10)	
9	आईसीओएनेस्थीसियोलॉजी (गैणएसएमआई)	1	ओपीसी	(39)	1	अनारक्षित ओपीसी	(68)	1	एससी	(14)	
10	ओटो लैरिंगोलॉजी(ईएनटी)	1	ओपीसी	(57)	1	ईडब्ल्यूएस	(70)	1	एससी	(115)	
11	कैन्सिटी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित	(72)	1	ओपीसी	(119)	
12	कैटिकल केयर आईसीओ	1	ईडब्ल्यूएस	(40)	1	एससी	(41)	0	0	0	
13	जनरल मेडिसिन	0	0	0	1	ओपीसी	(75)	1	ईडब्ल्यूएस	(20)	
14	जनरल सर्जरी	1 कोलो सर्जरी 1 ट्रामा	ओपीसी	(17)	1	अनारक्षित ओपीसी	(76)	1	एससी	(47)	
15	द्यूवरकुलोसिस एण्ड रेस्पिरटरी मेडिसिन	0	0	0	1	अनारक्षित ओपीसी	(77)	1	अनारक्षित	(52)	
16	डिप्लोमेटोलाजी (स्कीन एण्ड वीडी)	1	ओपीसी	(65)	1	अनारक्षित ओपीसी	(78)	1	एससी	(53)	
17	डेंटल	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
18	यूरोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
19	यूरोसर्जरी	0	0	0	1	ईडब्ल्यूएस	(80)	1	ओपीसी	(55)	
20	यूरो रेडियोलॉजी (गैणएसएमआई)	1	अनारक्षित	(42)	1	अनारक्षित	(81)	1	एससी	(63)	
21					1	अनारक्षित	(82)	1	अनारक्षित	(64)	
22					1	अनारक्षित	(83)	1	ओपीसी	(123)	
23					1	अनारक्षित	(84)	1	अनारक्षित	(124)	
24					1	अनारक्षित	(85)	1	एससी	(125)	
25					1	अनारक्षित	(86)	1	अनारक्षित	(126)	
26					1	अनारक्षित	(87)	1	ओपीसी	(127)	
27					1	अनारक्षित	(88)	1	एससी	(21)	
28					1	अनारक्षित	(89)	1	अनारक्षित	(22)	
29					1	अनारक्षित	(90)	1	ओपीसी	(24)	
30					1	अनारक्षित	(91)	1	एससी	(65)	
31					1	अनारक्षित	(92)	1	अनारक्षित	(99)	
32					1	अनारक्षित	(93)	1	ईडब्ल्यूएस	(100)	
33					1	अनारक्षित	(94)	1	ओपीसी	(129)	
34					1	अनारक्षित	(95)	1	ईडब्ल्यूएस	(130)	
35					1	अनारक्षित	(96)	1	एससी	(131)	
36					1	अनारक्षित	(97)	1	अनारक्षित	(132)	
37					1	अनारक्षित	(98)	1	ओपीसी	(165)	
38					1	अनारक्षित	(99)	1	अनारक्षित	(166)	
39					1	अनारक्षित	(100)	1	ओपीसी	(167)	
40					1	अनारक्षित	(101)	1	अनारक्षित	(168)	
41					1	अनारक्षित	(102)	1	एससी	(169)	
42					1	अनारक्षित	(103)	1	अनारक्षित	(134)	
43					1	अनारक्षित	(104)	0	0	0	
44					1	अनारक्षित	(105)	0	0	0	
45					1	अनारक्षित	(106)	0	0	0	
46					1	अनारक्षित	(107)	0			

21	मेडिकलजी, (मेडिसिन)	1	ओपीडीसी	(27)	0	0	0	0	0	0
22	पीडियाट्रिक्स	0	0	0	1	एससीओ	(93)	1	एससीओ	(69)
					1	अनारक्षित	(94)	1	एससीओ	(30)
					1	ओपीडीसी	(95)	1	एससीओ	(70)
								1	एससीओ	(139)
								1	एससीओ	(140)
								1	एससीओ	(141)
								1	एससीओ	(170)
								1	ओपीडीसी	(171)
23	पैन मेडिसिन (पीएमएसएसवाई)	1	एससीओ	(45)	1	एससीओ	(47)	1	ओपीडीसी	(71)
24	पैथालॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	फार्माकोलाजी	1	एससीओ	(49)	1	एससीओ	(25)	1	एससीओ	(93)
					1	अनारक्षित	(34)			
26	फिजिकल एण्ड मेडिकल रिहैबिलिटेशन (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	1	अनारक्षित	(48)	0	0	0
27	फिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	1	अनारक्षित	(46)
								1	अनारक्षित	(94)
								1	एससीओ	(145)
28	फोरेंसिक मेडिसिन	1	अनारक्षित	(52)	0	0	0	1	अनारक्षित	(96)
								1	अनारक्षित	(146)
29	बायोकेमिस्ट्री	1	ओपीडीसी	(51)	1	अनारक्षित	(96)	1	एससीओ	(147)
30	बायोफिजियोलॉजी	0	0	0	0	0	0	0	0	0
31	सुरिलॉजी (पीएमएसएसवाई)	0	0	0	0	0	0	1	ओपीडीसी	(75)
32	रेडियोलॉजी	1	ओपीडीसी	(37)	1	एससीओ	(30)	1	ओपीडीसी	(37)
					1	अनारक्षित	(98)	1	अनारक्षित	(38)
					1	एससीओ	(99)	1	अनारक्षित	(56)
					1	एससीओ	(100)	1	अनारक्षित	(152)
					1	एससीओ	(101)	1	अनारक्षित	(153)
					1	अनारक्षित	(102)	1	अनारक्षित	(154)
								1	ओपीडीसी	(155)
								1	अनारक्षित	(156)
								1	ओपीडीसी	(157)
								1	ओपीडीसी	(181)
33	राइडियेट्री	1	अनारक्षित	(68)	1	ओपीडीसी	(103)	0	0	0
		20			58			81		

उक्त पदों पर नियमानुसार आक्षण देय होगा संविदा पर नियुक्ति की शर्तें निम्नवत हैं:-

- संविदा पर नियुक्ति किये जाने वाले आचार्यों का नियत वेतन ₹2,20,000/- प्रतिमाह है। सह आचार्यों का नियत वेतन ₹1,60,000/-, सहायक आचार्यों को नियत वेतन ₹1,20,000/- एवं प्रवक्ता फार्मसी पद हेतु ₹75,000/- प्रतिमाह है। इस हेतु आवेदनकर्ता को Medical Council of India, Minimum Qualification For Teachers in Medical Institutions Regulations, 2022 द्वारा निर्धारित शैक्षिक अहर्ताएं एवं अनुभव पूर्ण करना आवश्यक है।
- शासनादेश संख्या- 2282/71-1-2013-जी-11/2011 दिनांक 23-09-2013 द्वारा राजकीय एलोपैथिक मेडिकल कालेजों में सेवानिवृत्त चिकित्सा शिक्षकों को संविदा पर नियुक्ति किये जाने की अधिकतम आयु सीमा 70 वर्ष होगी।
- शासनादेश सं-562/71-1-2020-जी-63/2008 दिनांक 10 जून, 2020 द्वारा संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अधिकतम आयु नियुक्ति वर्ष के जुलाई माह के प्रथम दिवस को सहायक आचार्य हेतु 60 वर्ष, सह आचार्य हेतु 64 वर्ष एवं आचार्य हेतु 68 वर्ष होगी।
- चयन के सम्बंधित कालेज से उत्तीर्ण अभ्यर्थी तथा नये स्नातकोत्तर उपाधि प्राप्त अभ्यर्थी को पूर्ववर्ती अभ्यर्थी पर वरीयता प्रदान की जायेगी।
- चिकित्सा शिक्षकों की शैक्षिक अहर्ता/शैक्षिक अनुभव उ० प्र० राज्य चिकित्सा महाविद्यालय अध्यापकों की जारी सेवा नियमावली (पंचम संशोधन)-2018 एवं समय-समय पर पूर्व में निर्गत सेवा नियमावली में नियत व्यवस्था के अनुसार होगी।
- ओपीडीसी के दिन प्राइवेट प्रैक्टिस नहीं करेंगे।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले शिक्षकों को प्राइवेट प्रैक्टिस के स्थान निर्दिष्ट करना होगा।
- कोई भी चिकित्सा शिक्षक इस चिकित्सा महाविद्यालय से सम्बद्ध चिकित्सालयों में आये रोगियों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा।
- प्राइवेट प्रैक्टिस करने वाले चिकित्सा शिक्षकों को मेडिकल कालेजों में आकस्मिक/आपदा सेवाओं के दृष्टिगत हमेशा उपलब्ध रहना होगा।
- उक्त नियत वेतन के अतिरिक्त संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों को अन्य किसी प्रकार के वेतन/भत्ते एवं सेवागत लाभ अनुमत्य नहीं होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की सेवायें लोक सेवा आयोग से सीधी नहीं के माध्यम से चयनित चिकित्सा शिक्षकों के उपलब्ध होने पर तत्काल समाप्त हो जायेगी एवं सेवा संतोषजनक न पाये जाने पर एक माह की नोटिस देकर भी सेवा समाप्त की जा सकती है।
- इस चिकित्सा शिक्षकों का संविदा कार्यकाल एक वर्ष होगा। एक वर्ष की संतोषजनक सेवा के पश्चात लोक सेवा से चयनित अभ्यर्थी/नियमित चिकित्सा शिक्षक उपलब्ध न होने पर आवश्यकतानुसार इस सेवा के अन्तर्गत सेवा के आधार पर कार्यकाल पुनः बढ़ाया जा सकेगा।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के लिए यह आवश्यक होगा कि वह करार होने के 30 दिन के भीतर सम्बन्धित मेडिकल कालेज में अपना कार्यभार ग्रहण कर लें। उक्त समयवधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में संविदा स्वतः रद्द मानी जायेगी। संविदा पर नियुक्त ऐसे चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण की सूचना सम्बन्धित मेडिकल कालेज के प्रधानाचार्य द्वारा शासन तथा मा. वि. वि. चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों की अन्य सेवा शर्तें ऐसी होंगी जैसे करार या अनुभव पत्र में विनिर्दिष्ट की जाये। संविदा पर कार्यरत चिकित्सा शिक्षकों के अनुभव या करार में इस तथ्य का उल्लेख किया जायेगा कि वह मा. वि. वि. चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण को तत्काल भेजी जायेगी।
- अतिरिक्त सेवाओं के समय इस आशय पर अपने विनियमितकरण अथवा स्थायीकरण का दावा नहीं करेंगे और न ही उन्हें निर्धारित नियत वेतन के अतिरिक्त कोई अन्य सुविधा अनुमत्य होगी।
- अतिरिक्त सेवाओं के समय इस आशय पर भी प्राप्त किया जायेगा कि उनके विरुद्ध माननीय न्यायालय में कोई अपराधिक याद प्रचलित नहीं है, यदि उनके विरुद्ध कोई प्रतिकूल तथ्य प्रस्तुत हो तो उनका सेवाई समाप्त कर दी जायेगी।
- उक्त संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के कार्यभार ग्रहण सं-1/2019/4/1/2002/का-2/10 टी.सी.-11 दिनांक 18-02-2019 के अन्तर्गत एससीओ (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) के आक्षण का लाभ प्राप्त करने वाले होंगे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को पदों की सक्रिय अहर्ता नवीन एनओएससीओ गाइड लाइन के अनुसार अनुमत्य होगी।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों को पदों का संतोषजनक होने की दशा में पदों की संख्या घट या बढ़ सकती है।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

सं-73 / तद्विनाक

चिकित्सा शिक्षा विभाग लिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

- सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराने की कृपा करे।
- सम्बन्धित चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण, उ० प्र० लखनऊ को इस आशय के साथ प्रेषित कि उक्त विज्ञापित को वेबसाइट पर अपलोड कराना सुनिश्चित करे।
- संविदा पर नियुक्त चिकित्सा शिक्षकों के अतिरिक्त कोई अन्य योग्यता रखता/रखती है, तो उसे वरीयता दी जायेगी।

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर

प्रधानाचार्य
मेडिकल कालेज, कानपुर